न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0नं0 :– 64 / 2024
निर्णय दिनांक :– 16.12.2024
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. जगदीश जाट पुत्र मोहरूराम जाति जाट निवासी ग्राम मोहनपुरा रणवां, तहसील फागी जिला दूदू राज.।

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।

प्रतिवादी

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री सीताराम सैनी वकील वादी
वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 16.12.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 38 के आराजी खसर नम्बर 283, 285 कुल किता 2 कुल रकबा 3.3509 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा रणवां, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज सम्पूर्ण हिस्से का एकमात्र खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। वादी एक ही संयुक्त हिन्दु परिवसार का वंशज व सदस्य है, सिजरा खानदान अनुसार वादी स्व. मोहरूराम का जायंदा विधिक वारिस है। उक्त आराजीयात को स्व. रामचंद्र ने अपनी संयुक्त परिवार की आय से दिनांक 21.07.1993 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार बदाम देवी पत्नी नहनूलाल दत्तक पुत्र बाल्या व नहनूलाल दत्तक पुत्र बाल्या जाति जाट निवासी ग्राम मोहनपुरा रणवां से क्रय कर वादी के नाम लगवा दी वरवक्त विक्रय पत्र के समय वादी रामचंद्र के पास रहता था एवं रामचंद्र की सेवा–सुश्रुषा वादी ही करता था इसलिए रामचंद्र ने वादी की वल्दियत में अपना नाम लिखवा दिया जबकि वादी मोहरूराम का जायंदा पुत्र है। उक्त आराजीयात के संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई खातेदारी

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

भूमि है। जिस पर वादी मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है इसलिए वादी उक्त आराजीयात की खातेदारी अधिकारों की घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज करवाने का कानूनन अधिकारी है। उक्त आराजीयात का दिनांक 21.07.1993 को रामचंद्र ने विक्रय पत्र का सारा खर्चा वहन कर नाऔलाद होने से अपने सगे भाई मोहरूराम के लडके के नाम रजिस्टर्ड करवाया है उसमें रजिस्ट्री का सारा खर्चा रामचंद्र ने ही वहन किया है इसलिए रामचंद्र के पास ही वादी व वादी के भाई रहते थे इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम मोहरूराम के बजाय रामचंद्र करवा दिया जबकि वादी का जायंदा पिता मोहरूराम है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम रामचंद्र के बजाय मोहरूराम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। विवादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है। उक्त आराजी स्व0 रामचंद्र के द्वारा वादी के पक्ष में क्रय की गई खातेदारी भूमि है। रामचंद्र का देहान्त हो चुका है। वादी के जायंदा पिता मोहरूराम का भी देहांत हो गया है, जिसकी विरासत का नामांतकरण सं. 373 दिनांक 20.10.2014 को ग्राम पंचायत मांदी द्वारा स्वीकृत किया गया है उक्त मोहरूराम की विरासत से प्राप्त सम्पत्ति का हकत्याग वादी ने अपने सगे भाईयों के पक्ष में करवा दिया है लेकिन वादी रामचंद्र के पास रहने से राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम रामचंद्र विक्रय पत्र में दर्ज करवा दिया इसलिए उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जगदीश पुत्र रामचंद्र के स्थान पर जगदीश जाट पुत्र मोहरूराम जाति जाट राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। जगदीश पुत्र रामचंद्र व जगदीश जाट पुत्र मोहरूराम जाट जाति जाट निवासी मोहनपुरा रणवां तहसील फागी में उक्त नाम का एक ही व्यक्ति है। इस नाम के अलावा इन नामों का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम मोहनपुरा रणवां में नहीं है, बल्कि वादी के दस्तावेज आधार कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, राशन कार्ड में वादी के पिता का नाम मोहरूराम दर्ज है जिससे पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादी के जायंदा पिता का नाम मोहरूराम सही है इसलिए वादी के पिता का नाम जगदीश पुत्र रामचंद्र के स्थान पर जगदीश जाट पुत्र मोहरूराम जाति जाट राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिए

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

(3)

वादी उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरूस्ती इन्द्राज करवाने का कानूनन अधिकारी है। अभी हाल ही में दिनांक 08.08.2024 को वादी ने उक्त आराजी पर किसान कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का के पास नकले लेने गया तो अपने पिता की वल्दियत की अलग—अलग नाम होने की जानकारी हुई पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपका नाम रिकार्ड में जगदीश पुत्र रामचंद्र जबकि सही नाम जगदीश जाट पुत्र मोहरूराम है। जिसको सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत कहा गया इसलिए मान्य न्यायालय में वादी द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी का वाद कारण 08.08.2024 को वादी ने उक्त आराजी पर किसान कार्ड बनावाने के लिए पटवार हल्का के पास नकले लेने गया तो अपने पिता की वल्दियत की अलग—अलग नाम होने की जानकारी हुई तब से वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादी का वाद अंदर मियाद मान्य न्यायालय में प्रस्तुत है। प्रतिवादी को लैण्ड होल्डर होने से एवं दावा दुरूस्ती इन्द्राज का होने से पक्षकार कायम किया गया है। पक्षकार का निवास स्थान व विवादित आराजीयात मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से श्रीमान न्यायालय को इस वाद की सुनवाई व निस्तारण का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 बाद तामिल उपस्थित नही आये। प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 वाके ग्राम मोहनपुरा रणवां के खाता संख्या 38 के खसरा नं. 283, 285 में वादी रिकार्डेड खातेदार है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, दस्तावेज आधार कार्ड आदि

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला—दूदू

दस्तावेजों में जगदीश जाट पुत्र मोहरू अंकित है। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि जगदीश पुत्र रामचंद्र का सही नाम जगदीश जाट पुत्र मोहरूराम है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आराजी खतौनी संख्या 38 के आराजी खसर नम्बर 283, 285 कुल किता 2 कुल रकबा 3.3509 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा रणवां, तहसील फागी जिला जयपुर हाल नवसृजित जिला दूदू में स्थित है आराजीयात में वादी का नाम जगदीश पुत्र रामचंद्र से जगदीश जाट पुत्र मोहरूराम दुरूस्त किये जानें के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

सत्यमेव जयते

जगदीश जाट बनाम राज्य सरकार
मु0न0:– 64 / 2024
निर्णय दिनांकः– 16.12.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

1. जगदीश जाट पुत्र मोहरूराम जाति जाट निवासी ग्राम मोहनपुरा रणवां, तहसील फागी जिला दूदू राज.।

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।

प्रतिवादी

::– वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा::–

मु0न0:– 64 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन्तफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री सीताराम सैनी हाजिर रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आराजी संख्या 38 के आराजी खसर नम्बर 283, 285 कुल किता 2 कुल रकबा 3.3509 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा रणवां, तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन वादी का नाम जगदीश पुत्र रामचंद्र के स्थान पर जगदीश जाट पुत्र मोहरूराम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज.......ℓ.......मुबलिग.......ℓ.......बाबत.......ℓ.......खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....ℓ.......फीसदी.......ℓ.......सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ℓ.......का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.12.2024 को जारी की गई।

दस्तखत..............
उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू
ओहदा..............

मुहर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी फागी, सत्यमेव जयते, जिला – दूदू)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

16/12/24

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू